



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276287
CG-DL-E-17092026-276287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 749]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2026

नियमावली

सा.का.नि. 819(अ).—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों की सहमति से निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी (ग्रेड-‘बी’) हेतु चयन सूचियों में सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2026, के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित अनुभाग अधिकारी (ग्रेड-‘बी’) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियमावली सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

श्रेणी I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी II

भारतीय विदेश सेवा, शाखा ‘ख’ के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी X

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी

श्रेणी XI

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/प्रबन्धक ग्रेड-'I'

1. प्रत्येक ग्रेड/सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयनित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उम्मीदवारों का अंतिम चयन और परिणाम की घोषणा, अन्य बातों के साथ-साथ एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 की सिविल अपील सं. 629 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2016/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 12.04.2022 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाएगी।

श्रेणी - II (भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड) के संबंध में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उम्मीदवारों की नियुक्ति/वरिष्ठता भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में भर्ती/वरिष्ठता पर प्रभाव डालने वाले किसी भी न्यायिक निर्देश/निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

श्रेणी - III (अर्थात् रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड) के संबंध में सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरीयता सूची का मामला न्यायालयाधीन है, अतः वर्ष 2026 के लिए श्रेणी - III (अर्थात् रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड) का परिणाम, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत ओ.ए. सं.215/2022 के निर्णय तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरीयता सूची में संशोधन, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन अनंतिम होगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन, इस नियमावली के परिशिष्ट में निर्धारित रीति से किया जाएगा। परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और आयोग द्वारा अलग से इसकी सूचना दी जाएगी।

3. नीचे कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो पात्रता की निर्णायक तिथि (जो नीचे उल्लिखित है) को कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कॉलम 3 में उल्लिखित सेवा की संबंधित श्रेणियों के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि

अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2026 की परीक्षा के लिए 1 जुलाई, 2026

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'सी')	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच (05) वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार (04) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष हो। “तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.09.2026 के आदेश सं. 21/06/2026-सीएस.। (नीति) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में वर्ष 2020 के बैच के सीधी भर्ती से आए सहायक अनुभाग अधिकारी, जिनके पास तीन (03) वर्ष की अनुमोदित सेवा और न्यूनतम 03 वर्ष की एपीएआर है, को सीएसएस नियमावली, 2009 के नियम 2(ग) और सीएसएस अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा), विनियम, 2010 के विनियम 4 की मौजूदा शर्तों में छूट प्रदान करते हुए, सीएसएस (संशोधन) नियमावली, 2016 और 2022 के साथ पठित सीएसएस नियम, 2009 के नियम 23 के अनुसार, अनुभाग अधिकारी एलडीसीई 2026 में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है।”	श्रेणी I
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का सहायक ग्रेड, आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड और साईफर उप-संवर्ग का साईफर सहायक ग्रेड	सामान्य संवर्ग के सहायक ग्रेड/ साईफर संवर्ग के साईफर सहायक ग्रेड/ आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच (05) वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार (04) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किए होने चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	श्रेणी II

	"तथापि, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' नियमावली 2017 के नियम 2(क) और नियम 16(1)(ii) की मौजूदा शर्तों में छूट देते हुए विदेश मंत्रालय के दिनांक 15.09.2026 के आदेश संख्या क्यू/सीएडी/611/04/2026 के तहत, वर्ष 2020 बैच के सीधी भर्ती से आए सहायक अनुभाग अधिकारी, जिनके पास तीन (03) वर्ष की अनुमोदित सेवा और तीन (03) एपीएआर (36 माह की एपीएआर) हों, अनुभाग अधिकारी एलडीसीई 2026 में शामिल होने के पात्र होंगे; और विदेश मंत्रालय में वर्ष 2020 बैच के सीधी भर्ती से आए वैयक्तिक सहायक, जिनके पास चार (04) वर्ष की अनुमोदित सेवा और तीन (03) एपीएआर (36 माह की एपीएआर) हों, अनुभाग अधिकारी एलडीसीई 2026 में शामिल होने के पात्र होंगे।"	
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'सी'/वैयक्तिक सहायक ग्रेड	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच (05) वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार (04) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो।	श्रेणी III
आसूचना ब्यूरो का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड/आशुलिपिक सेवा ग्रेड - 'II'	i) स्थायी तथा नियमित रूप से नियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारी: अथवा ii) आसूचना ब्यूरो के आशुलिपिक ग्रेड-'II' (वैयक्तिक सहायक) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री हो, जिनकी अनुमोदित सेवा पांच (05) वर्ष से कम की न हो तथा जिनके पास कम से कम चार (04) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट हों। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले अलग से जारी किए जाने वाले आदेश के अध्यक्षीन, आसूचना ब्यूरो के वर्ष 2020 बैच के सीधी भर्ती से आए सहायक अनुभाग अधिकारियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अनंतिम रूप से अनुमति प्रदान की जाती है।	श्रेणी VIII

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कम से कम पांच (05) वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा।	श्रेणी X
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड-‘II’/अधीक्षक ग्रेड के कर्मचारी	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड-‘II’/अधीक्षक के ग्रेड में वे कर्मचारी जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये तथा ग्रेड वेतन 4600 रुपये में दो (02) वर्ष की नियमित सेवा की हो।	श्रेणी XI

बशर्ते कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि श्रेणी X के किसी उम्मीदवार को उपरोक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त किया गया है तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम पांच (05) वर्ष पहले आयोजित की गई हो और उस ग्रेड में उम्मीदवार ने निर्णायक तारीख तक कम से कम चार (04) वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवा कर ली हो।

नोट 1 – उपरोक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त वे अधिकारी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और अन्यथा पात्र हैं और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा, कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के अनुरूप अर्हक है।

तथापि यह कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें कॉलम 1 में संदर्भित उनके संबंधित ग्रेडों और सेवाओं में संवर्ग बाह्य पदों पर अथवा अन्य सेवा में “स्थानांतरण” (चाहे वे लियन रखते हों या नहीं) पर नियुक्त किया गया हो।

नोट 2 - केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा ‘ख’ में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे श्रेणी-I के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

नोट 3 - केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा ‘ख’ में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे श्रेणी-II के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 4 – ऐसे सभी उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके द्वारा निर्णायक तिथि तक उपरोक्त अपेक्षित पात्रता को पूरा करने की संभावना हो।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा नियमावली को अधिसूचित किए जाने और आयोग द्वारा परीक्षा नोटिस के प्रकाशन के बाद, उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरना होगा और संबंधित संवर्ग इकाई द्वारा उम्मीदवार के सेवा अभिलेखों से उसके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के विधिवत सत्यापन/प्रमाणीकरण के बाद, उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने और पात्र उम्मीदवार के आवेदन आयोग को अग्रेषित करने के लिए उसकी हार्ड कॉपी उचित माध्यम से संबंधित सहभागी सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को भेजी जाएगी। इन नियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता की शर्तों के संदर्भ में, उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदन की संवीक्षा, संबंधित सहभागी सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

5. नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी किसी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा परीक्षा में प्रवेश के लिए उनके पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।
7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी है अथवा आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-
- i. किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामतः
 - क. गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
 - ख. दबाव डालना, या
 - ग. परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
 - ii. प्रतिरूपधारण करना, अथवा
 - iii. किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में/प्रतिरूपण द्वारा कार्य कराया है, अथवा
 - iv. जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें छेड़छाड़ की गई हो/ को बिगाड़ा गया हो, अथवा
 - v. आवेदन प्रपत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।
 - vi. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा
 - vii. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामतः
 - क. गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;
 - ख. परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;
 - ग. परीक्षकों को प्रभावित करना; या
 - viii. परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा
 - ix. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा
 - x. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा
 - xi. परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा
 - xii. परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, बंद या चालू अवस्था में प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा
 - xiii. परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

xiv. उपर्युक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी कार्य द्वारा, जैसा भी मामला हो अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे:-

क. नियमावली के अन्तर्गत परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा

ख. उसे निम्नलिखित के लिए स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा

i. आयोग द्वारा ली जाने वाली कोई भी परीक्षा अथवा चयन;

ii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन कोई भी नियोजन; तथा

ग. उसके विरुद्ध समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। किंतु यह कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक:

i. उम्मीदवार को इस संबंध में ऐसा लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

ii. उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया जाए।

8. कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

9. (i) परीक्षा के पश्चात, उम्मीदवारों पर वर्ष 2026 के लिए रिक्तियों हेतु उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा, जो उस वर्ष के लिए उनकी पात्रता के अध्यधीन होगा और आयोग द्वारा परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग के लिए तय किए गए अर्हता मानकों के अध्यधीन प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के अनुसार आयोग द्वारा उन्हें योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

चयन सूची में शामिल करने के लिए श्रेणी-वार योग्यता (मेरिट) सूची, रिक्तियों की संख्या और उम्मीदवार की मेरिट और अन्य सभी पात्रता शर्तों की पूर्ति पर आधारित होगी। आयोग को परीक्षा के किसी एक या सभी चरण (चरणों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंड तय करने का अधिकार है।

वर्ष 2026 में उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाने वाली रिक्तियों को श्रेणी I, III, VIII एवं XI के लिए अगले रिक्ति वर्ष में आगे ले जाया जाएगा। श्रेणी II के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मामले में, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों, जो चयनित/योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष में खाली रह जाती हैं, को अगली परीक्षा हेतु आगे ले जाया जाएगा।

(ii) प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों का अंतिम चयन एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 के परिणामस्वरूप उत्पन्न वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 629 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन 36012/16/2019-स्था. (आरईएस) दिनांक 12.04.2022 के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का अंतिम चयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 36012/01/2020-स्था. (आरईएस-II) दिनांक 17.05.2022 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।

(iv) अंतिम परिणाम निम्नलिखित कार्यपद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है :

(क) अंकों का पूर्णांकन :

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत:

(क) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ख) यदि उपरोक्त (क) में अंक समान हैं, तो “पेपर-II : भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रचलित कार्य पद्धति और सेवाओं की संगत श्रेणियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय और सेवा नियम” और “पेपर-III: नोटिंग और ड्राफ्टिंग, सार लेखन” को मिलाकर अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) में भी अंक समान हैं, तो “पेपर-III: अर्थात् नोटिंग और ड्राफ्टिंग, सार लेखन” में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(घ) यदि उपरोक्त (क), (ख), (ग) में भी अंक समान हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(ङ) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उनका समाधान आयोग के विवेकानुसार किया जाएगा।

नोट :- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा।

10. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना किस रूप में और किसी प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा। आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है।

किंतु यह कि आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके लिया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पर (चाहे उनका लियन हो या नहीं) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/एएफएचक्यू सिविल सेवा/आसूचना ब्यूरो के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड/ या भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

हालांकि, यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया हो।

[फा.सं. 06/01/2026-सीएस.1(पी)]

जे.अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजनानुसार आयोजित की जाएगी:-

भाग I

(क) नीचे पैरा 2 में दर्शाए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग II

सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन हेतु अधिकतम 100 अंक होंगे। उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन होगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए होंगे (श्रेणी I, II, III, VIII, X और XI हेतु);

नोट 1: सेवा अभिलेख (अर्थात् बैठक के दौरान मूल्यांकन बोर्ड के पास उपलब्ध अधिकारियों की एपीएआर) के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना रैंक के निर्धारण हेतु की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एपीएआर का मूल्यांकन किए जाने के पश्चात्, एपीएआर ग्रेडिंग आदि में किसी परिवर्तन सहित इसके पुनः मूल्यांकन हेतु बाद में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट 2: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा की विभिन्न श्रेणियों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकारी तंत्र की सामान्य जानकारी, संसद की	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे

	कार्य-पद्धति और प्रक्रिया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान।			
2	भारत सरकार सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और कार्य पद्धति तथा सेवाओं की संगत श्रेणियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियम।	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3	नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग और सार लेखन	विषयपरक	200	3 घंटे
	सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन		100	
	कुल अंक		600	

3. गलत उत्तरों के लिए दंड (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है।

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे।
- यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक सही हो तथा उस प्रश्न के लिए उपर्युक्त दंड दिया जाएगा।
- यदि किसी प्रश्न को छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. परीक्षा का पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगा।

5. उम्मीदवारों को नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग और सार लेखन का उत्तर देने के लिए हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में से कोई एक विकल्प चुनने की अनुमति होगी। तीनों प्रश्न-पत्र/परीक्षण पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में तैयार की जाएंगी।

नोट 1:- नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग और सार लेखन पेपर का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को इसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कॉलम में परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, तकनीकी शब्दों (यदि कोई हों), के अंग्रेजी पर्याय, यदि चाहें तो हिन्दी शब्द के साथ कोष्ठक में दे सकते हैं।

नोट 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम में परीक्षा में उत्तर दिए जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों के पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. (i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, यदि चाहें तो, स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता

की अन्य श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार, अनुबंध-I पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, अनुबंध- III में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है।

(ii) उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना स्क्राइब ला रहे हैं या आयोग के स्क्राइब की सेवाएं लेंगे और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन भरते समय अनुबंध- II (40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा अनुबंध- IV (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है) के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

(iii) आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब अथवा स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार, परीक्षा के प्रत्येक घंटे में बीस (20) मिनट का प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार, अनुबंध-I पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, अनुबंध -III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है।

(v) पात्र उम्मीदवारों को, मांग किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा तथा/या प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

नोट (1): स्क्राइब की पात्रता की शर्तें तथा परीक्षा हॉल के भीतर स्क्राइब का आचरण तथा वह अनुभाग अधिकारी (ग्रेड 'बी') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर लिखने में बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इनमें से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर आयोग बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ स्क्राइब के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

नोट (2): दृष्टि बाधा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

बैटर आई बेस्ट करेक्टेड	वर्स आई बेस्ट करेक्टेड	दिव्यांगता का प्रतिशत	दिव्यांगता की श्रेणी
1	2	3	4
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से कम से 3/60 तक	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन होने तक	30%	II (एक आंख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित हेमियानोपिया	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से कम से 3/60 तक	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन होने तक	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक	6/60 से कम से 3/60 तक	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन होने तक	80%	III ड. (अल्प दृष्टि)
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन होने तक	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

नोट (3): दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टि दोष से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

7. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

8. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

9. लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखावट के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

10. विषयपरक पेपर में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में की गई सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

11. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुबंध-I**परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती..... (बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, पुत्र/पुत्री , निवासी (ग्राम/जिला/राज्य) हैं, की जांच की है और उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त दिव्यांगता इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/
चिकित्सा अधीक्षक

नोट: प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित – नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता – हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए परिवचन पत्र
(उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)

मैं (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, और (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक....., (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला , (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

मुझे एतद्वारा यह सूचित करना है कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए मेरी ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्वारा परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता मेरी घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं इस पद पर अपने अधिकार तथा संबंधित दावे से वंचित हो जाऊंगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-III

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री , निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस

थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो..... (दिव्यांगता का स्वरूप/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोरोग मनोवैज्ञानिक (साइकैट्रिस्ट)/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी	अध्यक्ष			

सरकारी अस्पताल/
स्वास्थ्य संस्था केन्द्र का नाम और मोहर

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-IV

विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला, (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मुझे एतद्वारा यह कहना है कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए मेरी ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता मेरी घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पर अपने अधिकार तथा संबंधित दावे से वंचित हो जाऊंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

जहां नियमों, आदर्शों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर-I

पेपर में समसामयिक सरोकार और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के ज्ञान साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की समसामयिक घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता का परीक्षण करना होगा।

निम्नलिखित पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है:

- (i) भारतीय संविधान के सिद्धांत।
- (ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम।
- (iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदनाम तथा उनके बीच विषयों का आबंटन तथा पारस्परिक संबंध।
- (iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

पेपर-II

यह पेपर भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्य पद्धति तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान की जांच की जाएगी। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची दी जा रही है (जो संपूर्ण नहीं है)

(श्रेणी I, VIII और XI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नवीनतम संस्करण)।
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल श्रेणी I के लिए)।
4. मूलभूत तथा अनुपूरक नियमावली (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली।
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली।
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली।
9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा वृद्ध) नियमावली।
10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली।
11. आसूचना ब्यूरो स्थायी आदेश (केवल श्रेणी VIII के लिए)

(श्रेणी II के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नवीनतम संस्करण)।
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।
4. मूलभूत तथा अनुपूरक नियमावली (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली।
7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा वृद्ध) नियमावली।
8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली।
9. भारतीय विदेश सेवा (पीएलसीए) नियमावली।
10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार।
11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।
12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली।

(श्रेणी III के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका।
2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।
3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V, VI, VIII तथा IX को छोड़कर)।
4. भारतीय रेल वित्तीय संहिता खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)।
5. भारतीय रेल स्थापना संहिता खंड-I।
6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966।
7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968।

(श्रेणी X के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नवीनतम संस्करण)।
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।
4. मूलभूत तथा अनुपूरक नियमावली (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली।
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली।

8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली।
9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)।

पेपर-III

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण तथा गद्यांश से संक्षेपण तैयार करें।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

RULES

G.S.R. 819(E).—The Rules for the Combined Section Officers' (Grade-'B') Limited Departmental Competitive Examination for the year 2026, to be conducted by the Union Public Service Commission, for making additions in the Select Lists for the Section Officers' (Grade-'B') of the Services mentioned below, are, published herewith, with the concurrence of the Ministries concerned, for general information.

Category I

Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service.

Category II

Section Officers' Grade of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service

Category VIII

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau.

Category X

Section Officers in Armed Forces Headquarters Civil Service

Category XI

Assistant Director/Section Officers/Manager Grade-'I' in Employees' State Insurance Corporation

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade/service will be specified in the Notice issued by the Commission. Final Selection of the candidates under different categories shall be decided and results declared inter-alia based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide O.M. No.36012/2016/2019-Estt (Res.) dated 12.04.2022 subject to final outcome of the Civil Appeal No.629 of 2022 arising out of SLP (C) No.30621/2011.

In respect of Category II (Section Officers' Grade of the General Cadre of IFS, Branch 'B'), the appointment/seniority of candidates to Section Officer Grade will be subject to any judicial directive/judgement having a bearing upon the recruitment/seniority in the Section Officers' Grade of the General Cadre of IFS, Branch 'B'.

In respect of Category III (i.e. the Section Officers' Grade of RBSS), the seniority list of Assistant Section Officers' Grade is under challenge, the result of Category III (i.e. the Section Officers' Grade of RBSS) for the year 2026 would be provisional subject to the outcome of O.A. No.215/2022, before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, and revision of seniority list of Assistant Section Officers' (ASOs') Grade of RBSS, if any.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission and informed separately by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the Grade and Services mentioned in column 1 below who on the crucial date of eligibility (as mentioned below) satisfy the conditions regarding length of service and educational qualification etc. mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the respective categories of service mentioned in column 3.

Crucial date of eligibility

1st July, 2026 for SO LDCE, 2026 Examination

Column 1	Column 2	Column 3
Assistant Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service and Personal Assistants' Grade (Stenographers Grade-'C') of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than five (05) years' approved service and shall also have earned at least four (04) Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or Personal Assistants' Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service. Personal Assistants of CSSS shall possess a Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent. "However, in pursuance of DoPT's Order No.21/06/2026-CS.I(P) dated 15.09.2026, DR ASOs of 2020 batch in CSS having three (03) years' approved service and with minimum three (03) APARs are permitted, in terms of Rules 23 of CSS Rules, 2009 read with the CSS (Amendment) Rules, 2016 and 2022, to appear in the SO LDCE 2026, in relaxation of the existing conditions of the Rule 2(c) of CSS Rules, 2009 and Regulation 4 of CSS Section Officers' Grade (LDCE), Regulations, 2010."	Category I
Assistant Grade of the General Cadre, Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre and Cypher Assistant Grade of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	Not less than five (05) years' approved service and shall also have earned at least four (04) Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Grade of the General Cadre/Cypher Assistant Grade of the Cypher Cadre/Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre. Further, candidates should possess a Bachelor's Degree from a recognized University and should have completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs. "However, in pursuance of Ministry of External Affairs Order No. Q/CAD/611/04/2026 dated 15.09.2026, DR ASOs of 2020 batch will be eligible for appearing in SO LDCE 2026 having three (03) years' approved service and three (03) APARs (36 months APAR); and DR PAs of 2020 batch in MEA will be eligible for appearing in the SO LDCE 2026 having four (04) years' approved service and three (03) APARs (36 months APAR) in relaxation	Category II

	of the existing conditions of the Rule 2(a) and Rule 16(1)(ii) of the Indian Foreign Service Branch 'B' Rules 2017."	
Assistant Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade-'C'/ Personal Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than five (05) years' approved service and shall also have earned at least four (04) Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Section Officer's Grade of Railway Board Secretariat Service or Personal Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service. Personal Assistants of RBSSS shall possess a Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent.	Category III
Assistant Section Officers' Grade/ Stenographers' Service Grade-'II' of IB	i) Permanent and regularly appointed Assistant Section Officers: or ii) Stenographers Grade-'II' (Personal Assistants) of the Intelligence Bureau possessing a Bachelor's Degree from a recognized university, with not less than five (05) years' approved service and shall also have earned at least four (04) Annual Performance Appraisal Reports. "Subject to separate order to be issued before the last date of the application, Direct recruited Assistant Section Officers of 2020 batch of IB are provisionally allowed for appearing in the examination."	Category VIII
Assistant Section Officer in AFHQ Civil Service	Not less than five (05) years' approved and continuous service in the Assistant Section Officer grade of the Armed Forces Headquarters Service.	Category X
Employees in the grade of Social Security Officer/Manager Grade-'II'/Superintendent	The employees in the Grade of Social Security Officer/Manager Grade-'II'/Superintendent with two (02) years regular service in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600/-.	Category XI

Provided that in the case of a candidate of Category X who had been appointed to the Grades mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than five (05) years before the crucial date and he/she should have rendered not less than four (04) years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Note 1 - Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the Competent Authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in column 2.

This, however, does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on "transfer" (whether they have a lien or not) in their respective Grades and Services referred to in column 1.

Note 2 - Assistant Section Officers of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch 'B' and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Category I.

Note 3 - Assistant Section Officers of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Category II.

Note 4 - All the candidates expecting to complete the requisite eligibility as above on crucial date can apply for the examination.

4. After the notification of the Rules of the examination in the Gazette of India by the Department of Personnel & Training and publication of Notice of Examination by the Commission, a candidate shall have to fill in the application form online on the website of the Commission and the hard copy of the same be routed through proper channel, after due verification/authentication of the information furnished by the candidate in his/her application form from his/her service records by the cadre unit concerned, to the Cadre Controlling Authority of the participating service concerned for determination of the eligibility of the candidate and onward transmission of the application of the eligible candidate to the Commission. The Scrutiny of the application for determining eligibility of a candidate, with reference to the eligibility conditions stipulated in these rules, shall be done by the Cadre Controlling Authority of the participating service concerned.

5. Notwithstanding anything contained in rule 4, the decision of the Commission with regard to acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the Examination, shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

- i. Obtaining support for his candidature by the following means, namely:-
 - a. Offering illegal gratification to; or
 - b. Applying pressure on; or
 - c. Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- ii. impersonation, or
- iii. procuring impersonation by any person, or
- iv. submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or
- v. uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.
- vi. making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- vii. resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely:-
 - a. obtaining copy of question paper through improper means;
 - b. finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
 - c. influence the examiners; or
- viii. being in possession of or using unfair means during examination, or
- ix. writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the script(s), or
- x. misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- xi. harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

- xii. being in possession of or using any mobile phone, (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- xiii. violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- xiv. attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
 - a. to be disqualified by the Commission from the Examination held under this Rules for which he/she is a candidate, and/or
 - b. to be debarred either permanently or for a specified period-
 - i. by the Commission from any examination or selection held by them ;
 - ii. by the Central Government from any employment under them; and
 - c. to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-
 - i. giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf ; and
 - ii. taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

8. Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (i) to (xiii) above render himself liable to action in terms of the clause (xiv).

9. (i) After the examination, candidates shall be considered for vacancies for the year 2026 subject to their eligibility for the year and will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate subject to qualifying standards for each paper/part of the examination as decided by the Commission.

Category wise merit lists for inclusion in the Select List will be based on the number of vacancies and candidate's merit and fulfilment of all other eligibility conditions. The Commission reserves the right to fix minimum qualifying standards for any or all stage(s) or paper(s) of the Examination.

Vacancies remaining unfilled in the year 2026 due to non-availability of suitable/qualified candidates will be carried forward to the next Vacancy year for Category I, III, VIII and XI. In case of candidates appearing for Category II, only vacancies reserved for SC/ST/Person with Benchmark Disability (PwBD) Category candidates remaining unfilled in the year due to non-availability of selected/qualified candidates will be carried forward to the next examination.

(ii) The final selection of the candidates including candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for inclusion in the Select List for each category will be decided based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide OM 36012/16/2019-Estt. (Res.) dated 12.04.2022 subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/2011.

(iii) The final selection of the PwBD candidates for inclusion in the Select List for each category will be decided based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide OM 36012/01/2020-Estt. (Res.-II) dated 17.05.2022.

(iv) The final result is prepared on the basis of the following methods:

(A) Rounding Off Marks:

Marks obtained by the candidates shall be rounded off up to two decimal digits, at all stage(s) of the examination, by applying the standard rounding off principle, wherever applicable. Accordingly, while applying the Tie Breaking Principles, the rounded off marks up to two decimal digits shall be considered for resolving all tie cases.

(B) Tie Breaking Principles:

- a) If the marks in aggregate (Final Marks) are equal, candidate securing more marks in the written total will be ranked higher;
- b) If the marks at (a) above are equal, the candidate securing more marks in “Paper-II : Procedure of Practice in the Govt. of India Secretariat and attached Offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services”, and “Paper-III : Noting and Drafting, Precis Writing” put together will be ranked higher;
- c) If the marks at (a) & (b) above are also equal, then the candidate securing more marks in “Paper-III, i.e., Noting & Drafting, Precis Writing” will be ranked higher;
- d) If the marks at (a), (b), (c) above are also equal, then the candidate senior in age will be ranked higher; and
- e) In cases where a tie persists even after applying the above tie breaking principles, it will be resolved at the discretion of the Commission.

Note: - Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this Examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into any correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection:

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on ‘transfer’ (whether they have a lien or not) in the Assistant Section Officers’ Grades of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/AFHQ Civil Service/I.B./ or any post in the Indian Foreign Service, Branch ‘B’ will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the Competent Authority.

[F. NO. 06/01/2026-CS.I(P)]

J. ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I

(a) Written examination carrying maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II

Evaluation of record of service carrying a maximum of 100 marks of candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion (for categories I, II, III, VIII, X, and XI);

Note 1: Marks obtained in evaluation of record of service (i.e. APARs of the officers available to the Assessment Board at the time of its meeting) will be counted for ranking. Once the APARs have been evaluated by the Assessment Boards, no request for its reassessment will be entertained under any circumstances including a change in APAR grading, etc. at a subsequent date.

Note 2: There shall be a minimum of 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service. Therefore, such candidates who obtain less than 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service will not be considered for ranking.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of services will be required to take the written examination, will be as follows:-

Paper No.	Subject	Type of Paper	Max. Marks	Duration
1	General Studies & General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament and Knowledge of RTI Act, 2005.	Objective	150	2 Hrs.
2	Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat and attached offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services.	Objective	150	2 Hrs.
3	Noting and Drafting, Precis writing	Subjective	200	3 Hrs.
	Evaluation of record of Service		100	
	Total Marks		600	

3. Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
- (iii) If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Syllabi for the Examination will be as shown in the schedule.

5. Candidates are allowed the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper either in Hindi (Devanagari) or in English. All the three question papers/test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1: Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in relevant column of Online Application Form; otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2: Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

6. (i) Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, the Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be eligible for the facility of scribe, if desired by the person. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under Section 2 (r) of the RPwD Act, 2016, such candidates will be eligible for the facility of scribe on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write the examination on his/her behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-I.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure – III.

(ii) The candidates have discretion of opting for their own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Annexure-II (for candidates having 40% disability or more) and Annexure-IV (for candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing).

(iii) The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

(iv) The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be eligible for Compensatory Time of twenty (20) minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, such candidates will be eligible for this facility on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-I.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for Compensatory Time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-III.

(v) Facility of Scribe and/or Compensatory Time to eligible candidates will be provided, if desired by them.

Note (1): The eligibility conditions of a scribe and the conduct of scribe inside the examination hall and the manner in which and extent to which the scribe can help the eligible candidates (as defined above) in writing the SOs' (Grade-'B') LDCE shall be governed by the instructions issued by the Commission in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in addition to any other action that the Commission may take against the scribe.

Note (2): The criteria for determining the percentage of visual impairment shall be as follows:-

Better eye Best Corrected	Worse eye Best Corrected	Per Cent Impairment	Disability category
1	2	3	4
6/6 to 6/18	6/6 to 6/18	0%	0
	6/24 to 6/60	10%	0
	Less than 6/60 to 3/60	20%	I
	Less than 3/60 to No Light Perception	30%	II (One eyed person)
6/24 to 6/60 Or Visual field less than 40 up to 20 degree around centre of fixation or hemianopia involving macula	6/24 to 6/60	40%	III a (low vision)
	Less than 6/60 to 3/60	50%	III b (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	60%	III c (low vision)
Less than 6/60 to 3/60 Or Visual field less than 20 up to 10 degree around centre of fixation	Less than 6/60 to 3/60	70%	III d (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	80%	III e (low vision)
Less than 3/60 to 1/60 Or Visual field less than 10 degree around centre of fixation	Less than 3/60 to No Light Perception	90%	IV a (Blindness)
Only HMCF Only Light Perception, No Light perception	Only HMCF Only Light Perception, No Light perception	100%	IV b (Blindness)

Note (3): The concession admissible to blind candidates shall not be admissible to those suffering from Myopia.

7. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying in the examination. The Commission has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the subjective paper.

11. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering Paper - III.

Annexure-I**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate with benchmark disability), a person with (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o a resident of (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

**Chief Medical Officer/Civil Surgeon/
Medical Superintendent of a Government Healthcare Institution.**

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/PMR).

Annexure-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe
(To be filled by the candidates online to the Commission)

I a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No at (name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is..... In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place :

Date :

Annexure-III**Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing**

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....
 (name of the candidate), S/o / D/o, a resident of
 (Vill/PO/PS/District/State), aged.....years, a person with
 (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which
 hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for
 writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic/PMR Specialist	Clinical psychologist/Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer Chairperson				

Name of Government Hospital / Healthcare Centre with seal

Place :

Date :

Annexure-IV**Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing**

I....., a candidate with
 (nature of disability/condition) appearing for the
 (name of the examination) bearing Roll No..... at
 (name of the centre) in the District,
 (name of the state). My educational qualification is

2. I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service
 of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it
 is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall
 forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place :

Date :

SCHEDULE**Syllabi for examination**

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER – I

The paper will cover subjects of interest and importance in the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad salient features of the Five Year Plans, Indian Economy and major Developmental Schemes as also intelligence awareness of current affairs both national and international.

A broad knowledge of the following aspects will also be expected:

- i. The principles of the Constitution of India.
- ii. Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and Rajya Sabha.
- iii. The organization of the machinery of the Govt. of India, Designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached & Subordinate Offices and their relation inter se.
- iv. RTI Act, 2005.

PAPER - II

This paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct Rules, Leave Rules, TA Rules etc. will be tested. A list of Reference Books (which are however not exhaustive) are recommended:-

(for Category I, VIII and XI)

1. Manual of Office Procedure (latest edition).
2. Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs. (for Category I only)
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. The Central Civil Services (Leave) Rules.
9. Compilation of the General Financial Rules, (Revised and Enlarged).
10. Delegation of Financial Power Rules.
11. Intelligence Bureau Standing Orders (for Category VIII only).

(for Category II)

1. Manual of Office Procedure (latest edition).
2. Notes on Office Procedure issued by the I.S.T.M.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.

6. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
7. Compilation of the General Financial Rules (Revised and enlarged).
8. Delegation of Financial Power Rules.
9. Indian Foreign Service (PLCA) Rules.
10. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
11. Assisted Medical Attendance Schemes.
12. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules.

(for Category III)

1. Manual of Office Procedure issued by the Ministry of Railways (Railway Board).
2. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.
3. Indian Railway Admn. and Finance (excluding Chapters V, VI, VIII & IX).
4. Indian Railway Financial Code Vol. I (excluding Chapter II and VI).
5. Indian Railway Establishment Code Vol. I.
6. The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.
7. The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1968.

(for Category X)

1. Manual of Office Procedure (latest edition).
2. Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. The Central Civil Services (Leave) Rules.
9. Financial Regulations Part I (Revised Edition).

PAPER – III

Candidates are required to prepare notes and drafts on specific problems and précis from a passage.